classmate
Date
Page

[Page: 1 to 3]

DATE: 10/09/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: IIIrd (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 08 (PARLIAMENT: LOKSABHA & RAJYASABHA)

LECTURE NO.-08 (EIGHT)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POL. SC.
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य

लोकसभा की शक्तियाँ एवं कार्यों का उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है —

(1) विधायी शक्ति —

सभी तरह के विधेयकों के मामले में लोकसभा को राज्य सभा के समान या उससे ज्यादा शक्तियाँ प्राप्त है। धन विधेयक जिसके सम्बंध में अनुच्छेद 110 में उल्लेख है तथा वित्त विधेयक प्रकार-1 जिसके सम्बंध में अनुच्छेद - 117(1) में उल्लेख है, सिर्फ लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं। संविधान संशोधन एवं धन विधेयक के छोड़कर शेष विधेयक के सन्दर्भ में दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में संयुक्त बैठक अनु० 108 के अनुसार बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष करता है, जो लोकसभा की मजबूत स्थिति का परिचायक है।

(2) वित्तीय शक्ति —

वित्तीय मामलों में लोकसभा के पास अत्यधिक शक्ति, क्योंकि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं।

Scanned with CamScanner

(3) कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति —

कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जिसका लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसीलिए सरकार अर्थात् कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है।

कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अन्तर्गत ही लोकसभा संघीय लोक ~~सेवा~~ सेवा आयोग, भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग व अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, आदि की रिपोर्ट पर विचार करती है।

(4) संविधान संशोधन सम्बंधी शक्ति —

संविधान संशोधन के सम्बंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और उसे तभी पारित माना जाता है जब दोनों सदन अलग-अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित कर दें।

(5) विविध कार्य और शक्ति —

(अ) राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसके सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य निर्वाचक मंडल में होते हैं।

(ब) लोकसभा और राज्यसभा

Scanned with CamScanner

मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है।

(iii) राज्यसभा द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए पारित प्रस्ताव का अनुमोदन यदि लोकसभा न करे तो उसे हटाए जाने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है।

(iv) सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी लोकसभा की सहमति आवश्यक है।

इस प्रकार हम लोकसभा के शक्तियों एवं कार्यों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यह सदन का प्रभावशाली, शक्तिशाली एवं अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है।

सम्भावित प्रश्न:

लोकसभा की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए।

Scanned with CamScanner